इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024—भाद्र 15, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्र. ई-5-1040-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे (2016), उपसचिव, मुख्यमंत्री, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्यूरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) भोपाल तथा प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 12 अगस्त से 2 सितम्बर 2024 तक बाईस दिन का एक्सइंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 10, 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मुख्यमंत्री, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्यूरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) भोपाल, तथा प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान), मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-609-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के दिनांक 1 से 6 अगस्त 2024 तक छः दिन ओलम्पिक गेम्स 2024 पेरिस (फ्रांस) के शासकीय विदेश भ्रमण पर रहने के अनुक्रम में उनका दिनांक 7 से 9 अगस्त 2024 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे (1992), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-1190-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे (2015) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंध विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के दिनांक 1 से 6 अगस्त 2024 तक छः दिन ओलम्पिक गेम्स 2024 पेरिस (फ्रांस) के शासकीय विदेश भ्रमण पर रहने के अनुक्रम में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2024 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. ई-1-149-2024-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 17-5-2024-EO (MM-1), दिनांक 6 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में श्री बक्की कार्तिकेयन, भाप्रसे (2012), संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, खान मंत्रालय के अंतर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister of Minses (Shri G. Kishan Reddy) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी को कार्यकाल अवधि के को-टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री कार्तिकेयन माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है.

क्र. ई-5-1062-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, (2009) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता, विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल को दिनांक 12 से 30 अगस्त 2024 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 10, 11 अगस्त 2024 एवं 31 अगस्त 2024, 1 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता, विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024

क्र. ई-1-102-2023-5-एक.—श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (म. प्र. 1998) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्र. 4-13-2024-FA(UN), दिनांक 3 जुलाई, 2024 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के आदेश क्र. A-35011-01-2023-Ad.VII (I), दिनांक 12 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए Senior Adviser to the Executive Director, World Bank, Washington DC, USA के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है.

2. उक्त विदेश सेवा की अवधि पूर्ण होने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (म. प्र.-1998) राज्य शासन में वापस अपनी उपस्थिति देंगे.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. ई-1-101-2024-5-एक.—भारत सरकार, संस्थापन अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07-2024-EO (SM-I) (5), दिनांक 7 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि-प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई की सेवाएं भारत सरकार के अंतर्गत उप निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाच आयोग, नई दिल्ली के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है.

क्र. ई-1-121-2024-5-एक.—भारत सरकार, संस्थापन अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07-2024-EO (SM-I) (4), दिनांक 7 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे (1999), कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार के अंतर्गत संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग, नई दिल्ली के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है.

क्र. ई-1-249-2022-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2022 तथा 27 दिसम्बर 2023 द्वारा श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014) को छोड़कर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2014 के समस्त भाप्रसे अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2023 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800-209200 (पे मेट्रिक्स-12) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया गया है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यत: पूर्ण करेंगे.

2. इस विभाग के आदेश क्रमांक डी-2-14-2021-6-एक, दिनांक 3 जून 2024 द्वारा श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, भाप्रसे (2014) के विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र संबंधी प्रकरण अंतिम बार भविष्य के लिए सचेत करते हुए समाप्त किया गया है.

3. अत: राज्य शासन श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे (2014), कलेक्टर, जिला श्योपुर को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 2023 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800-209200 (पे मेट्रिक्स-12) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वह वर्ष 2024 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज-III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यत: पूर्ण करेंगे.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2024

क्र. ई-5-1206-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे (2020) अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर का दिनांक 12 अगस्त 2024 से दिनांक 7 फरवरी 2025 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश (दिनांक 10, 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे, को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई-1-168-2024-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अनुपम राजन, (1993), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
2.	श्री अमित राठौर (1996), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रमख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	—
3.	श्री सुखवीर सिंह, (1997), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए).	—
4.	श्री रवीन्द्र सिंह (2004), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	—
5.	श्री श्रीमन शुक्ल (2007), प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	श्री सिबि चक्रवर्ती एम. (2008), प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	—
7.	श्री ऋषि गर्ग (2013), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग	सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल तथा आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8.	श्री एस. कृष्ण चैतन्य (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
9.	श्री अवि प्रसाद (2014), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2. श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है एवं उपरोक्त के क्रम में श्री डी. पी. आहूजा (1996) को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

3. श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

4. श्री धनराजू एस., भाप्रसे (2009), वि.क.अ.-सह-आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा वि.क.अ.-सह-श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5. उपरोक्तानुसार श्री श्रीमन शुक्ल द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बाबू सिंह जामोद, भाप्रसे (2006), कमिश्नर, रीवा संभाग, रीवा तथा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल (अतिरिक्त प्रभार) केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. ई-5-1215-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अर्पित गुप्ता, भाप्रसे (2022), सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर का दिनांक 27 से 30 अगस्त 2024 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 25, 26 अगस्त 2024 एवं 31 अगस्त 2024 तथा 1 सितम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री अर्पित गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. 64-2024-FWAD.—राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 (क्रमांक 1 सन् 1959) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री अजय गुप्ता (भा.प्र.से.), संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को आगामी आदेश तक "गन्ना आयुक्त" नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गणेशे, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2024

क्र. UDH-7-0001-2024-अठारह-5.—मंत्रि-परिषद आयटम क्रमांक-9 दिनांक 14 मार्च, 2024 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा चित्रकूट विकास प्राधिकरण में निम्नानुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पद का नाम (2)	पद संख्या (3)	पद का वेतनमान (4)	पद का स्वरूप (5)
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (रा. प्र. से.).	01 (एक)	लेवल-14 (79900-211700)	रा. प्र. सेवा
2.	संपदा अधिकारी ग्रेड-2	01 (एक)	लेवल-12 (56100-177500)	प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति
3.	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	01 (एक)	लेवल-13 (67300-206900)	पदोन्नति
4.	सहायक यंत्री (सिविल)	01 (एक)	लेवल-12 (56100-177500)	पदोन्नति/सीधी भर्ती
5.	उपयंत्री (सिविल)	02 (दो)	लेवल-08 (32800-103600)	सीधी भर्ती
6.	सहायक ग्रेड-1	01 (एक)	लेवल-07 (28700-91300)	पदोन्नति
7.	लेखापाल ग्रेड-2	01 (एक)	लेवल-06 (25300-80500)	पदोन्नति
8.	सहायक ग्रेड-2	02 (दो)	लेवल-06 (25300-80500)	पदोन्नति
9.	लेखा सहायक	01 (एक)	लेवल-04 (19500-62000)	सीधी भर्ती
10.	भृत्य	03 (तीन)	लेवल-01 (15500-49000)	सीधी भर्ती
11.	चौकीदार	02 (दो)	लेवल-01 (15500-49000)	सीधी भर्ती
	कुल पद . .16			

उक्त पदों की स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 461-आर. 464-बजट-2-चार, दिनांक 23 अगस्त 2024 के द्वारा दी गई स्वीकृत के अनुक्रम में जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

फा.क्रमांक 3564/इक्कीस–ब (एक)/2024, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 इस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक 4–1–2002–21–ब(एक), दिनांक 04.03.2002 को छोड़कर कुटुम्ब नयायालय की स्थापना के संबंध में इस निमित्त जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुकमांक 1 से 43 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुकमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

अनुकमांक	कुटुम्ब न्यायालय, का नाम	मुख्यालय	वह क्षेत्र जिस तक अधिकारिकता का विस्तार होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर	अलीराजपुर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
2.	कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर	अनूपपुर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
3.	कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर	अशोकनगर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
4.	कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट	बालाघाट	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
5.	कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी	बड़वानी	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
6.	कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल	बैतूल	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

7.	कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड	भिण्ड	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
8.	कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर	बुरहानपुर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
9.	कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर	छतरपुर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
10.	कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
11.	कुटुम्ब न्यायालय, दमोह	दमोह	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
12.	कुटुम्ब न्यायालय, दतिया	दतिया	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
13.	कुटुम्ब न्यायालय, देवास	देवास	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
14.	कुटुम्ब न्यायालय, धार	धार	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
15.	कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डोरी	डिण्डोरी	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

16.	कुटुम्ब न्यायालय, गुना	गुना	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
17.	कुटुम्ब न्यायालय, हरदा	हरदा	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
18.	कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ	झाबुआ	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
19.	कुटुम्ब न्यायालय, कटनी	कटनी	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
20.	कुटुम्ब न्यायालय, पूर्व निमाड़, खण्डवा	पूर्व निमाड़, खण्डवा	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
21.	कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला	मण्डला	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
22.	कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर	मण्डलेश्वर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
23.	कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर	मंदसौर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
24.	कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना	मुरैना	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

25.	कुटुम्ब न्यायालय, नर्मदापुरम	नर्मदापुरम	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
26.	कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
27.	कुटुम्ब न्यायालय, नीमच	नीमच	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
28.	कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना	पन्ना	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
29.	कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन	रायसेन	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
30.	कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा)	राजगढ़ (ब्यावरा)	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं; तथा (iii) तहसील जीरापुर और खिलचीपुर की सीमाओं से संबंधित प्रकरण, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर।
31.	कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम	रतलाम	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
32.	कुटुम्ब न्यायालय, सतना	सतना	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

33.	कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर	सीहोर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
34.	कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी	सिवनी	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
35.	कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल	शहडोल	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
36.	कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर	शाजापुर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
37.	कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर	श्योपुर	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
38.	कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी	शिवपुरी	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
39.	कुटुम्ब न्यायालय, सीधी	सीधी	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
40.	कुटुम्ब न्यायालय, सिगरौली	सिगरौली	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
41.	कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़	टीकमगढ	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

42.	कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया	उमरिया	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;
43.	कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा	विदिशा	(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाऐं । (ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

नोटः— 1. अनुसूची में कॉलम (4) में, बिन्दु क्र (i) एवं (ii) में उल्लेखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा, जहाँ आमतौर पर दीवानी प्रकृति के मुकदमें और कार्यवाहियां संस्थित की जाती है और जिसके लिए प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्य विभाजन पत्रक में प्रथक से आदेश करेगा।

2. अनुसूची में कॉलम (4) में, बिन्दु क्र (i) एवं (ii) में उल्लेखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के पास दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों सहित मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा।

F.NO 3564/XXI-B(1)/2024.-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act; 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, after consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in all the previous notifications regarding establishment of Family Courts issued in this behalf excluding this Department's Notification F.No. 4-1-2002-XXI-B(1), dated 04.03.2002 namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, in the Schedul, for serial numbers1 to 43 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

S. No.	Name of Family Courts	Head Quarters	Area to which the Jurisdiction shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Family Court, Alirajpur	Alirajpur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
2.	Family Court, Anuppur	Anuppur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
3.	Family Court, Ashoknagar	Ashoknagar	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

4.	Family Court, Balaghat	Balaghat	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
5.	Family Court, Barwani	Barwani	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
6.	Family Court, Betul	Betul	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
7.	Family Court, Bhind	Bhind	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
8.	Family Court, Burhanpur	Burhanpur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
9.	Family Court, Chhatarpur	Chhatarpur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
10.	Family Court, Chhindwara	Chhindwara	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
11.	Family Court, Damoh	Damoh	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
12.	Family Court, Datia	Datia	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
13.	Family Court, Dewas	Dewas	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
14.	Family Court, Dhar	Dhar	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
15.	Family Court, Dindori	Dindori	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
16.	Family Court, Guna	Guna	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

17.	Family Court, Harda	Harda	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
18.	Family Court, Jhabua	Jhabua	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
19.	Family Court, Katni	Katni	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
20.	Family Court, East Nimar Khandwa	East Nimar Khandwa	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
21.	Family Court, Mandla	Mandla	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
22.	Family Court, Mandleshwar	Mandleshwar	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
23.	Family Court, Mandsaur	Mandsaur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
24.	Family Court, Morena	Morena	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
25.	Family Court, Narmadapuram	Narmadapuram	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
26.	Family Court, Narsinghpur	Narsinghpur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
27.	Family Court, Neemuch	Neemuch	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
28.	Family Court, Panna	Panna	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
29.	Family Court, Raisen	Raisen	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

30.	Family Court, Rajgarh (Bioara)	Rajgarh (Bioara)	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the cantonment area, if any; (ii) The limits of Nagar Panchayat Tehsil of the District Headquarter. (iii) Cases related to the limits of Tehsil Jeerapur & Khilchipur except the cases falling under Chapter IX of Cr.P.C. 1973.
31.	Family Court, Ratlam	Ratlam	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
32.	Family Court, Satna	Satna	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
33.	Family Court, Sehore	Sehore	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
34.	Family Court, Seoni	Seoni	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
35.	Family Court, Shahdol	Shahdol	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
36.	Family Court, Shajapur	Shajapur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
37.	Family Court, Sheopur	Sheopur	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
38.	Family Court, Shivpuri	Shivpuri	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
39.	Family Court, Sidhi	Sidhi	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
40.	Family Court, Singrauli	Singrauli	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
41.	Family Court, Tikamgarh	Tikamgarh	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

42.	Family Court, Umaria	Umaria	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
43.	Family Court, Vidisha	Vidisha	(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Note:- 1. In the Schedule, in Column (4), for the places other than mentioned in point No. (i) and (ii), the Court of District Judge shall have jurisdication in respect of the matters under section 7 of the said Act, where the suits and proceedings of civil nature are usually instituted and for which the Principal District and Sessions Judge shall issue separate order in their Distribution Memo.

2. In the Schedule, in Column (4) for the places other than mentioned in point No. (i) and (ii), the court of Judicial Magistrate First Class shall have the jurisdiction in respect of the matters including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).".

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

फा. क्र. 3610-2024-इक्कीस-ब (एक).—मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्य श्री कौस्तुभ खेड़ा, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, जोबट, जिला अलीराजपुर के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति (मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा) की बैठक दिनांक 8 अगस्त 2024 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 20 अगस्त 2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11 (ग) के अंतर्गत उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से उन्मुक्त (Discharge from Service) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री कौस्तुभ खेड़ा, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, जोबट, जिला अलीराजपुर को आदेश दिनांक से सेवा से उन्मुक्त (Discharge from Service) किया जाए.

अत:, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(ग) के अंतर्गत एतद्द्वारा, राज्य शासन, श्री कौस्तुभ खेड़ा, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, जोबट, जिला अलीराजपुर को सेवा से उन्मुक्त (Discharge from Service) करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्रमांक F-25-36-2002-10-3:: मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. F-25-36-2002-10-3 दिनांक 08.04.2002, प्रकाशन दिनांक 19.04.2002 में आंशिक संशोधन करते हुए कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर के वर्तमान क्षेत्रफल 123512.50 हेक्टेयर क्षेत्र में सामान्य वनमण्डल, श्योपुर का 36981.356 हेक्टेयर वनक्षेत्र एवं सामान्य वनमण्डल, शिवपुरी का 17267.960 हेक्टेयर वनक्षेत्र कुल 54249.316 हेक्टेयर वनक्षेत्र को कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल, श्योपुर में सम्मिलित करते हुये कूनो वन्यप्राणी वनमंडल श्योपुर कुल वनक्षेत्र 177761.816 हेक्टेयर का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.	परियोजना का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम (मुख्यालय)	उपवनमंडल सीमाओं का विवरण	वनमंडल सीमाओं का विवरण (भाग 1 एवं 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिंह परियोजना (शिवपुरी)	श्योपुर	कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, (श्योपुर)	उत्तर कूनो विजयपुर (विजयपुर)	688.518	1. अगरा (अगरा) 2. पालपुर पूर्व (पोहरी) 3. सिरोनी (वीरपुर) 4. धौरैंट (अगरा)	उत्तर- वन परिक्षेत्र सिरोनी एवं अगरा की आंशिक उत्तरी सीमा । पूर्व- वन परिक्षेत्र अगरा की पूर्वी सीमा। दक्षिण- वन परिक्षेत्र पालपुर पूर्व की दक्षिणी सीमा । पश्चिम- वन परिक्षेत्र पालपुर पूर्व एवं धौरैंट की पश्चिमी सीमा।	भाग- I उत्तर- वन परिक्षेत्र सिरोनी, अगरा की उत्तरी सीमा । पूर्व- वन परिक्षेत्र अगरा एवं सामान्य वनमंडल, शिवपुरी के वन परिक्षेत्र पोहरी की पूर्वी सीमा। दक्षिण - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर की दक्षिणी सीमा एवं सामान्य वनमंडल शिवपुरी के वन परिक्षेत्र पोहरी की आंशिक उत्तरी सीमा ।

क्र.	परियोजना का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उप वनमंडल नाम (मुख्यालय)	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में	सम्मिलित परिक्षेत्र का नाम (मुख्यालय)	उपवनमंडल सीमाओं का विवरण		वनमंडल सीमाओं का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
2	सिंह परियोजना शिवपुरी	श्योपुर	कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, (श्योपुर)	दक्षिण कूनो पोहरी (पोहरी)	437.443	1. पालपुर पश्चिम (सेसईपुरा) 2. मोरावन पूर्व (सेसईपुरा) 3. बेहरदा (पोहरी)	उत्तर- पूर्व- दक्षिण- पश्चिम-	वन परिक्षेत्र पालपुर पश्चिम की आंशिक उत्तरी सीमा । वन परिक्षेत्र पालपुर पश्चिम एवं बेहरदा की पूर्वी सीमा। वन परिक्षेत्र बेहरदा एवं मोरावन पूर्व की दक्षिणी सीमा । वन परिक्षेत्र मोरावन पूर्व एवं ओछापुरा की पश्चिमी सीमा। वन परिक्षेत्र श्योपुर एवं ओछापुरा की आंशिक उत्तरी सीमा ।	पश्चिम-	वन परिक्षेत्र मोरावन पश्चिम एवं सिरोनी की पश्चिमी सीमा।
3	सिंह परियोजना शिवपुरी	श्योपुर	कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, (श्योपुर)	श्योपुर (श्योपुर)	651.656	1. मोरावन पश्चिम (कराहल) 2. ओछापुरा (ओछापुरा) 3. रामबाड़ी (श्योपुर)	उत्तर- पूर्व- दक्षिण- पश्चिम-	वन परिक्षेत्र ओछापुरा, मोरावन पश्चिम एवं श्योपुर की पूर्वी सीमा। वन परिक्षेत्र मोरावन पश्चिम एवं श्योपुर की दक्षिणी सीमा । वन परिक्षेत्र मोरावन पश्चिम, ओछपुरा एवं श्योपुर की पश्चिमी सीमा।	भाग- II उत्तर- पूर्व- दक्षिण- पश्चिम-	सामान्य वनमंडल, श्योपुर से प्राप्त वन क्षेत्र से बने परिक्षेत्र रामबाड़ी की उत्तरी सीमा । सामान्य वनमंडल, श्योपुर से प्राप्त वन क्षेत्र से बने परिक्षेत्र रामबाड़ी की पूर्वी सीमा । सामान्य वनमंडल, श्योपुर से प्राप्त वन क्षेत्र से बने परिक्षेत्र रामबाड़ी की दक्षिणी सीमा । सामान्य वनमंडल, श्योपुर से प्राप्त वन क्षेत्र से बने परिक्षेत्र रामबाड़ी की पश्चिमी सीमा
कुल क्षेत्रफल :-					1777.618					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्र. एफ-25-36-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-36-2002-दस-3, दिनांक 30 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

F..No. 25-36/2002/10-3 :: In partial modification of Madhya Pradesh Government, Forest Department's notification no. F-25-36-2002-10-3 dated 08.04.2002, publication dated 19.04.2002 present area of 123512.50 hectares of Kuno Wildlife Forest Division, Sheopur, Territorial Forest Division 36981.356 hectare forest area and 17267.960 hectare forest area of Shivpuri Territorial Division, total 54249.316 hectare forest area is included in Kuno Wildlife Forest Division, Sheopur and the total 177761.816 hectare Kuno Wildlife forest division is reorganized as following :-

SN.	circle name	Name of district	Name of Forest Division (Headquarters)	Name of Sub Forest Division (Headquarters)	Area sq km In	Name of the combined area and forest (headquarters)	Description of sub-forest boundaries	Description of forest boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Part-I
1	Lion Project Shivpuri	Sheopur	Kuno Wildlife Forest Division, (Sheopur)	North Kuno Vijaypur (Vijaypur)	688.518	01. Agra (Agra) 02. Palpur East (Pohri) 03. Sironi (Veerpur) 04. Dhorent (Agra)	**North-** Partial Northern Boundary of Range sironi And Agra. **East-** Eastern boundary of Forest Range Agra . **South-** Southern boundary of Forest Range Palpur East . **West-** Western boundary of Forest Range Palpur East and Dhorent.	**North-** Northern boundary of forest range Sironi, Agra. **East-** Eastern boundary of forest range Agra and Pohari of Territorial forest Division, Shivpuri. **South-** Southern boundary of Kuno Wildlife Forest Division, Sheopur and partial northern boundary of Pohri Range of Shivpuri Territorial Forest Division **West-** Western boundary of Range Sironi and Moravan West

SN.	circle name	Name of district	Name of Forest Division (Headquarters)	Name of Sub Forest Division (Headquarters)	Area sq km In	Name of the combined area and forest (headquarters)	Description of sub-forest boundaries	Description of forest boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Part-II
2	Lion Project Shivpuri	Sheopur	Kuno Wildlife Forest Division, (Sheopur)	South Kuno Pohri (Pohri)	437.443	01. Palpur West (Sesaipura) 02. Moravan East (Sesaipura) 03. Behrda (Pohri)	North- Partial Northern Boundary of Range area Palpur West. East- Eastern Boundary of Forest range Palpur West and Beharda South- The southern boundary of the Forest Range Beharda and Moravan East . West- Western Boundary of Forest Range Moravan East and Ochhapura.	North- Northern boundary of Rambari, an area formed from the forest area obtained from Territorial Forest Division, Sheopur. East- Eastern boundary of Range Rambari. South- Southern boundary of Range Rambari. West- Western boundary of Range Rambari.
3	Lion Project Shivpuri	Sheopur	Kuno Wildlife Forest Division, (Sheopur)	Sheopur (Sheopur)	651.656	01. Morawan West (Karahal) 02. Ochapura (Ochhapura) 03. Rambadi (Sheopur)	North- Partial Northern Boundary of Range Rambadi And Ochhapura East- Eastern boundary of Range ochhapura Moravan West and Rambadi. South- Western boundary of Forest Range Moravan West and Southern Boundary of range Rambadi . West- Western Boundary of Range Moravan west, Ochhapura and Rambadi.	
	Total area : -				1777.618			

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक/1621/2105946/2024/10–3 :: भारतीय **वन** अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि : –

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड **N-21°54'41.09" से N-21°55'0.93" उत्तर** अक्षांश तथा E-75°13'26.29" **से** E-75°13'57.80" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला – बड़वानी **वनमण्डल – बड़वानी**
तहसील – राजपुर **वन परिक्षेत्र – राजपुर**

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक पुराना	खसरा क्रमांक नया	क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बासवी	43	**बासवी/ संरक्षित वनखण्ड बासवी**	–	255/9/5 (S)	**34.134**	ना.का.च.	**आर–324/918027/ 2022–10–3 दिनांक 09.02.2023**	10.02.2023	उत्तरः– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–1 से 5 तक वन सीमा। पूर्वः – संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–5 से 14 तक वन सीमा। दक्षिण– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–14 से 15 तक वन सीमा। पश्चिम– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–15 से 22 एवं 1 तक की वन सीमा।
	योग					**34.134**				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्र. 1621-आर-2105946-2004-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक 2 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

NO./1621 /R-2105946/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. **XVI** of 1927) **the State Government** hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-21°54'41.09'' to N-21°55'0.93'' North Latitude and E-75°13'26.29'' to E-75° 13'57.80'' East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional officer, **(Revenue) Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.**

SCHEDULE

District - Barwani
Tehsil -Rajpur

Forest Division - Barwani
Forest Range - Rajpur

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries	
				Old	New						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wasvi	43	**Wasvi/PF Block Wasvi**	-	255/9/5 (S)	34.134	**Na.Ka.Cha**	**R-324/918027/ 2022/10-3 Dated 09.02.2023**	**10.02.2023**	**North-**	Forest boundary from Pillar no. 1 to 5 of protected forest block.
										East-	Forest boundary from Pillar no. 5 to 14 of protected forest block.
										South-	Forest boundary from Pillar no. 14 to 15 of protected forest block.
										West-	Forest boundary from Pillar no. 15 to 22 and 1 of protected forest block.
Total						34.134					

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक/1621 /2105946/2024/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि : –

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड N-21°47'56.54" से N-21°48'14.01" उत्तर अक्षांश तथा E-75°14'22.02" से E-75°14'54.64" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला – **बड़वानी** वनमण्डल – **बड़वानी**

तहसील – **राजपुर** वन परिक्षेत्र – **राजपुर**

क्र.	प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	देवनली	61	देवनली/ संरक्षित वनखण्ड देवनली	–	1 (S)	28.311	ना.का.च.	आर–324/918027/ 2022–10–3 दिनांक 09.02.2023	10.02.2023	**उत्तरः–** संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक– 1 से 13 तक की वन सीमा। **पूर्वः –** संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–13 से 22 तक की वन सीमा। **दक्षिण–** संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक– 22 से 52 तक की वन सीमा। **पश्चिम–** संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक– 52 से 56 एवं 1 तक की वन सीमा।
	योग					28.311				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्र. 1621-आर-2105946-2004-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक 2 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

NO./1621 /R-2105946/2024/10-3 :: **In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government** hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-21°47'56.54'' to N-21°48'14.01'' North Latitude and E-75°14'22.02'' to E-75° 14'54.64'' East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional officer, (Revenue) Sub Division Seoni to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - Barwani
Tehsil - Rajpur

Forest Division - **Barwani**
Forest Range - Rajpur

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Devnali**	**61**	**Devnali/PF Block Devnali**	-	1(S)	28.311	**Na.Ka.Cha**	**R-324/918027/ 2022/10-3 Dated 09.02.2023**	**10.02.2023**	**North-** Forest boundary from Pillar no. 1 to 13 of protected forest block. **East-** Forest boundary from Pillar no. 13 to 22 of protected forest block. **South-** Forest boundary from Pillar no. 22 to 52 of protected forest block. **West-** Forest boundary from Pillar no. 52 to 56 and 1 of protected forest block.
Total						28.311				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक/1621/2105946/2024/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि : –

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड **N-22°48'9.44" से N-21°48'18.96"** उत्तर अक्षांश तथा **E-75°14'40.37" से E-75°14'59.22"** पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला – बड़वानी | **वनमण्डल – बड़वानी**
तहसील – राजपुर | **वन परिक्षेत्र – राजपुर**

क्र.	प्रस्तावित आरिक्षत वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	घुसगाँव	59	घुसगाँव/संरक्षित वनखण्ड घुसगाँव	–	178/1/1 (S)	11.699	शासकीय पहाड़	आर–324/918027/2022–10–3 दिनांक 09.02.2023	10.02.2023	**उत्तरः**– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–1 से 7 तक की वन सीमा। **पूर्वः** – संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–7 से 11 तक की वन सीमा। दक्षिण– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–11 से 18 तक की वन सीमा। पश्चिम– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–18 से 19 एवं 1 तक की वन सीमा।
	योग					11.699				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्र. 1621-आर-2105946-2004-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक 2 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

NO./1621 /R-2105946/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-22°48'9.44'' to N-21°48'18.96'' North Latitude and E-75°14'40.37'' to E-75° 14'59.22'' East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional officer, (Revenue) Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - Barwani
Tehsil - Rajpur

Forest Division - Barwani
Forest Range - Rajpur

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ghusgaon**	59	**Ghusgaon/ PF Block Ghusgaon**	-	178/1/1 (S)	11.699	**Government Hill**	**R-324/918027/ 2022/10-3 Dated 09.02.2023**	**10.02.2023**	**North-** Forest boundary from pillar no. 1 to 7 of protected forest block. **East-** Forest boundary from pillar no. 7 to 11 of protected forest block. **South-** Forest boundary from Pillar no. 11 to 18 of protected forest block. **West-** Forest boundary from pillar no. 18 to 19 and 1 of protected forest block.
Total						11.699				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक/1621 /2105946/2024/10-3 :: .भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि : –

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड N-21°47'58.97" से N-21°48'16.39" उत्तर अक्षांश तथा E-75°14'9.87" से E-75°14'41.21" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला – बड़वानी
तहसील – राजपुर

वनमण्डल – बड़वानी
वन परिक्षेत्र – राजपुर

क्र.	प्रस्तावित आरिक्षत वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लहड़गॉव	61	लहड़गॉव/ संरक्षित वनखण्ड लहड़गॉव	–	87/1/1/1 (S)	16.641	ना.का.च.	आर-324/918027/ 2022-10-3 दिनांक 09.02.2023	10.02.2023	उत्तरः– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-1 से 27 तक की वन सीमा। पूर्वः – संरक्षित वनखण्ड 27 से 28 तक की वन सीमा। दक्षिण– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-28 से 35 तक की वन सीमा। पश्चिम– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-35 से 42 एवं 1 तक की वन सीमा।
	योग					16.641				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्र. 1621-आर-2105946-2004-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक 2 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

NO./1621/R-2105946/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-21°47'58.97'' to N-21°48'16.39'' North Latitude and E-75°14'9.87'' to E-75° 14'41.21'' East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional officer, (Revenue) Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - Barwani
Tehsil -Rajpur

Forest Division - Barwani
Forest Range - Rajpur

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Lahadgaon**	61	**Lahadgaon/PF Block Lahadgaon**	-	87/1/1/1 (S)	16.641	**Na.Ka.Cha.**	**R-324/918027/ 2022/10-3 Dated 09.02.2023**	**10.02.2023**	**North-** Forest boundary from pillar no. 1 to 27 of protected forest block. **East-** Forest boundary from pillar no. 27 to 28 of protected forest block. **South-** Forest boundary from Pillar no. 28 to 35 of protected forest block. **West-** Forest boundary from pillar no. 35 to 42 and 1 of protected forest block.
			Total			16.641				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक/1621 /2105946/2024/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि : –

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड N-22°0'16.03" से N-22°0'38.73" उत्तर अक्षांश तथा E-75°0'12.83" से E-75°0'45.33" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला – बड़वानी **वनमण्डल – बड़वानी**
तहसील – राजपुर **वन परिक्षेत्र – राजपुर**

क्र.	प्रस्तावित आरिक्षत वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लोनसरा बुजूर्ग–"अ"	21	**लोनसरा बुजूर्ग/ संरक्षित वनखण्ड लोनसरा बुजूर्ग**	–	**105/7**	**20.500**	शासकीय बैडी	**आर–121/922705/ 2022–10–3 दिनांक 13.01.2023**	10.02.2023	**उत्तरः–** संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–1 से 23 तक की वन सीमा। **पूर्वः –** संरक्षित वनखण्ड 23 से 29 तक की वन सीमा। **दक्षिण–** संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–29 से 46 तक की वन सीमा। **पश्चिम–** संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–46 से 53 एवं 1 तक की वन सीमा।
	योग					**20.500**				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्र. 1621-आर-2105946-2004-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक 2 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

NO./1621/R-2105946/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-22°0'16.03'' to N-22°0'38.73'' North Latitude and E-75°0'12.83'' to E-75° 0'45.33'' East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional officer, (Revenue) Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - Barwani
Tehsil -Rajpur

Forest Division - Barwani
Forest Range - Rajpur

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Lonsara Buzurg "A"**	**21**	**Lonsara Buzurg/PF Block Lonsara Buzurg**	-	105/7	20.500	**Government Badi**	**R-121/922705/ 2022/10-3 Dated 13.01.2023**	**10.02.2023**	**North-** Forest boundary from pillar no. 1 to 23 of protected forest block. **East-** Forest boundary from pillar no. 23 to 29 of protected forest block. **South-** Forest boundary from Pillar no. 29 to 46 of protected Forest block . **West-** Forest boundary from Pillar no. 46 to 53 and 1 of protected forest block.
Total						20.500				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्रमांक/1621/2105946/2024/10–3 :: .भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा **4** द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि : –

(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड N-22°0'30.41'' से N-22°0'57.43" उत्तर अक्षांश तथा E-75°0'32.91'' **से** E-75°0'50.06'' पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है।

(ख) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) राजपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।

अनुसूची

जिला – बड़वानी
तहसील – राजपुर

वनमण्डल – बड़वानी
वन परिक्षेत्र – राजपुर

क्र.	प्रस्तावित आरिक्षत वनखण्ड	पटवारी हल्का क्र.	ग्राम / संरक्षित वनखण्ड	खसरा क्रमांक		क्षेत्रफल हेक्टेयर	यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद	यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक	राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	सीमाओं का विवरण
				पुराना	नया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लोनसरा बुजूर्ग–"बी"	21	लोनसरा बुजूर्ग / संरक्षित वनखण्ड लोनसरा बुजूर्ग	–	101/15 103/1	19.237 8.843	शासकीय बैडी	आर–121/922705/2022–10–3 दिनांक 13.01.2023	10.02.2023	उत्तरः– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–1 से 13 तक की वन सीमा। पूर्वः – संरक्षित वनखण्ड 13 से 19 तक की वन सीमा। दक्षिण– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–19 से 29 तक की वन सीमा। पश्चिम– संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक–29 से 41 एवं 1 तक की वन सीमा।
	योग					28.080				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

क्र. 1621-आर-2105946-2004-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक 2 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

NO./1621/R-2105946/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby:-

(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest. This Forest Block lies between N-22°0'30.41'' to N-22°0'57.43'' North Latitude and E-75°0'32.91'' to E-75°0'50.06'' East Longitude.

(B) Appoints Sub-Divisional officer, (Revenue) Rajpur to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act.

SCHEDULE

District - Barwani
Tehsil - Rajpur

Forest Division - Barwani
Forest Range - Rajpur

No.	Proposed RF Forest Block	Patwari Halka No.	Village/ PF Block	Khasra		Area (Hectare)	If Revenue Land then Head of the Land	If Protected Land its Notification Number and Date	Date of Publication of Gazette	Description of Boundaries
				Old	New					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lonsara Buzurg "B"	21	Lonsara Buzurg/PF Block Lonsara Buzurg	-	101/15 103/1	19.237 8.843	Government Badi	R-121/922705/ 2022/10-3 Dated 13.01.2023	10.02.2023	**North-** Forest boundary from Pillar no. 1 to 13 of protected forest block. **East-** Forest . boundary from Pillar no. 13 to 19 of protected forest block. **South-** Forest boundary from Pillar no. 19 to 29 of protected forest block . **West-** Forest boundary from Pillar no. 29 to 41 and 1 of protected forest block.
			Total			28.080				

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्रमांक/1633/2196109/2024/10–3 :: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड N 21°44'05.89" से N 21°44'24.04" उत्तर अक्षांश तथा E 79°59'16.18" से E 79°59'45.63" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला – बालाघाट **तहसील –** वारासिवनी

वनमंडल – दक्षिण बालाघाट (सा.) **वन परिक्षेत्र –** वारासिवनी (सा.)

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	प्रस्तावित वनखंड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1.	बघोली (अ)	बघोली	शासकीय भूमि, छोटे झाड़ का जंगल	8/2	19.347	उत्तर– आरक्षित वनखण्ड बघोली के मुनारा क्र. 6 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वनसीमा। पूर्व – प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 7 तक की कृत्रिम वनसीमा। दक्षिण – प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 13 तक की कृत्रिम वनसीमा पश्चिम – प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से आरक्षित वनखण्ड बघोली की वन सीमा लाईन के मुनारा क्रमांक 10 से 6 तक वन सीमा।
				योग	19.347	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: –

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6- एमपीबी 035/2023–बीएचओ दिनांक 07.11.2023 एवं क्रमांक 6– एमपीआर 020/2023–बीएचओ दिनांक 13.02.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान– महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक–1, 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना (02 सड़क निर्माण कार्यो के प्रस्ताव क्रमशः (1) नेवरवाही से वारधा तक मार्ग निर्माण, प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156107/2022 रकबा 1.970 हे0) में प्रभावित कुल 9. 530 हे. (2) गोदरी, हर्रानाला, व्हाया दुगलई तक मार्ग निर्माण प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/156133/2022 रकबा 7.560 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त वर्णित कुल 19.347 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र./0030/अ–59 वर्ष 22–23 दिनांक 05.12.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. **अन्य कारणों का विवरण –** निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वारासिवनी, जिला–बालाघाट के प्रमाण–पत्र के आधार प अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

1. व्यक्तिगत अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः – उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्र.-1633-2196109-2024-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-1633-2196109-2024-दस-3, दिनांक 3 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

No./1633 /2196109/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21°44'05.89" to N 21°44'24.04" North Latitude and E 79°59'16.18" to E 79°59'45.63" East Longitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat **Tahsil** : - Waraseoni
Forest Block: - South Balaghat (T.) **Forest Range** : - Waraseoni (T.)

S. N.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Forest Block Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1.	Bagholi (A)	Bagholi	Governmend Land, Chhote Jhad ka Jungle	8/2	19.347	North - Artificial forest boundary from pillar no. 6 of reserved forest block Bagholi to pillar no. 1 to 2 of proposed forest block. East - Artificial forest boundary from pillar no. 2 to 7 of proposed forest block. South - Artificial forest boundary from pillar no. 7 to 13 of proposed forest block. West - Forest boundary from pillar no. 13 of proposed forest block to pillar no. 10 to 6 of forest boundary line of reserved forest block Bagholi.
				Total	**19.347**	

(A) Reason for publication of Notification : –

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India's order No. 6-MPB 035/2023-BHO dated 07-11-2023, and no. 6-MPR 020/2023-BHO date 13-02-2024 and in lieu of 9.530 hectare of affected forest land under the sanctioned project of (02 Proposals for road construction works respectively (1) Newarvahi to Wardha, proposal No. FP/MP/Road/156107/2022 area 1.970 ha.) (2) Godri, Harranala, Via Duglai proposal No. FP/MP/Road/156133/2022 area 7.560 ha. of user agency- General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, PIU-1, 2 Balaghat, Distt. Balaghat, the above mentioned Non Forest Land of 19.347 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 0030/A-59 year 22-23 dated 05.12.2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar-Waraseoni, District- Balaghat are as under.

1. Individual Rights – There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights – There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्र. एफ-6-47-2022-सात-3.—नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75-2019-सात-3, दिनांक 24 सितम्बर 2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ) के संदर्भ में एतद्द्वारा, राज्य सरकार, जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट-एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चतुर्सीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है :—

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
01	105/1/1/1	104520
(1)	(2)	(3)

परिशिष्ट-01

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	कॉलम नंबर (03) के क्षेत्रफल में से (वर्ग मीटर में)	चतुर्सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	105/1/1/1	104520	1823.40	**उत्तर**—श्री चबेलदास का मकान **दक्षिण**—जमील अहमद **पूर्व**—डॉ. सोलत का मकान **पश्चिम**—रिंज रोड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 अगस्त 2024

रा. प्र.क्र. 0007-अ-82-2023-2024-भू-अर्जन.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी का नाम एवं पता.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-धनोरा प.ह.नं.-02 ब.नं.-135 रा.नि.मं. चौरई.	1. धुरू, मदन पिता छिद्दू, तुलसा बेवा छिद्दू साहू निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	198/1/1	0.310	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने के संबंध में.
				कुल योग . .	0.310	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अगस्त 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-1900-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठी	देवरीकला	1.1613	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.)	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की देवरीकला माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-1901-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	गोरसरी	3.800	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-1902-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	कोटर	0.7000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में, किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र.-1903-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	ओढ़कीखुर्द	1.6450	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र-1, नागौद, जिला सतना (म. प्र.).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ओढ़कीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-1903-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	सेमरा	3.0100	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-1905-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बम्हौरी	4.3500	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना यूनिट 2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24-पत्र क्र.-1907-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	बेरहना	2.0000	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्र. 06-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मऊगंज	मऊगंज	कोन	0.420	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म. प्र.)	मऊगंज जिले के सलैया से कोन वाया मुदरिया चौबान मार्ग में सलार नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 अगस्त 2024

प्र. क्र. 0026-अ-82-वर्ष 2022-2023.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना-, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु (पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव) ग्राम जनकपुर, तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 16 जून 2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जनकपुर	निजी भूमि 7.2770 हे. एवं शासकीय भूमि 0.0000 हे. इस प्रकार कुल 7.2770 हे.	उप मुख्य अभियंता (नि.-द्वितीय) पश्चिम मध्य रेलवे, सतना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु (पूरक / छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0028-अ-82-वर्ष 2022-2023.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर-सतना-, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु (पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव) ग्राम बड़ागाँव तहसील देवेन्द्रनगर, अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 16 जून 2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25(2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	देवेन्द्रनगर	बड़ागाँव	निजी भूमि 10.7739 हे. एवं शासकीय भूमि 4.5400 हे. इस प्रकार कुल 15.3139 हे.	उप मुख्य अभियंता (नि.-द्वितीय) पश्चिम मध्य रेलवे, सतना.	ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु (पूरक / छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. 1871-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम—रईया

(घ) क्षेत्रफल—0.3840 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
496	0.0650
501	0.1870
502	0.1320
योग . .	0.3840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1872-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम—मरवा

(घ) क्षेत्रफल—1.6890 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
9/2	0.0100
90	0.0120
2/2/1	0.1400
2/2/2/1	0.0340
2/2/2/2	0.0400
2/2/2/3	0.0300
2/4/1	0.1200
2/4/2	0.0120
14/1/1	0.0070
14/1/2	0.1000
14/2	0.1200
15/1/2	0.0550
15/2	0.1200
13	0.1000
12	0.0480
10	0.0720
20	0.1120
21	0.0050
8/1	0.0900
8/2	0.0280
8/3	0.0320
7/1	0.0180
7/2	0.0340
5/1	0.0110
5/3/1	0.0070
5/3/4	0.0120
5/3/5	0.0150
5/3/6	0.0050
106/1/1	0.0260
106/1/2	0.0260
106/1/3	0.0860
106/3	0.1460
118/1/1	0.0060
118/2/1/2	0.0100
योग . .	1.6890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. 1908-भू-अर्जन-2024.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम—त्योंधरा नं.-1

(घ) क्षेत्रफल—2.830 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
240/1	0.090
236/1/1	0.216
236/2/1	0.108
236/2/2	0.108
254/2	0.005
254/3	0.270
255	0.013
253/1	0.060
253/2/1	0.060
253/2/2	0.060
252/1/1	0.025
323/1	0.043
323/2	0.043
313/2	0.021
322	0.030
314	0.085
316	0.028
315	0.142
310	0.024
356	0.017
357	0.061
358	0.010
359	0.047
360	0.050
361	0.018
364	0.048
368	0.006
369	0.023
362	0.024
363/1	0.010
363/2	0.069
371	0.076
372/4	0.012
373	0.043
376	0.015
375	0.036
374	0.048
380/1	0.025
389	0.023
394	0.076
393	0.096
94/1	0.006
93/2	0.196
92/1	0.010
91/2	0.025
91/3	0.003
84	0.094
83	0.050
82	0.040
81/2/2/1	0.004
81/2/2/2	0.004
81/2/2/3	0.004
77/1/1	0.112
77/1/2	0.006
77/2/1	0.012
योग . .	2.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सेहरूआ माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्वं विभाग

प्ररुप—क

(नियम 4 देखिए)

क्र.—0004—82—22—23—भू—अर्जन—2024—6723—मौजा पहोल पट.ह.नं.—07—तह. केसली सागर, दिनांक 2/5 अगस्त 2024

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(1)	परियोजना विकासक का नाम	कार्यापालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रंमाक—2 सागर
(2)	भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन	सूरजपुरा जलाशय नहर निर्माण कार्य
(3)	अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण	1— अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी 2— राजस्व निरीक्षक, केसली 3— सरपंच ग्राम पंचायत, पलोह वि.ख.केसली 4— सचिव ग्राम पंचायत पलोह वि.ख.केसली
(4)	भूमि का विवरण	
(क)	जिला	सागर
(ख)	तहसील	देवरी
(ग)	ग्राम/नगर	पलोह
(घ)	कुल प्रभावित क्षेत्र	2.850हे.
(ड)	अर्जित होने वाला क्षेत्र	2.850हे.
(5)	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण	सूरजपुरा जलाशय
(6)	परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	2.850 हे.
(7)	क्या ग्रामसभाओं और/या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है	नहीं
(8)	सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख	अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.–0005–अ–82–2024–25–भू–अर्जन–मालापुर–7708 बैतूल, दिनांक 27 अगस्त 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म.प्र.)	बैतूल	मालापुर	2.425	कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग बैतूल जिला बैतूल (म.प्र.)	गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की डूब से प्रभावित, छूटे हुए एवं ब्रिज निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.मे.)	अर्जित रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5
1	शिवपाल पिता भादया कुन्बी सा. कुम्हारिया	13/1	0.268	0.121
2	दयाराम पिता तुलसीराम, काशीबाई बेवा तुलसीराम, जयराम, शिवपाल पिता तुलसीराम, फूलवंती पुत्री तुलसीराम, अनिता पुत्री रामपाल, ताराबाई बेवा रामपाल, तारेन्द्र, अरूण पिता रामपाल, सावित्री, सुभद्रा, बंदना पुत्री रामपाल, अविनाश पिता मुन्नालाल कुन्बी सा. कुम्हारिया	55/2/1/1	0.203	0.203

3	गुरूदयाल पिता भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया	56/2/1	0.020	0.020
4	जैयवन्ती पिता गुरूदयाल, नितेश पिता गोकुल, सुदामा, नकुल पिता गुरूदयाल, रामबाई बेवा गोकुल, रूपेश पिता गोकुल, अनिता पिता गोकुल, अंगद पिता भारत, दुर्गा पुत्री भारत नाई सा. कोदारोटी	65/1	2.000	2.000
5	गोमा, रामा, छोटू पिता मंगरू, मीराबाई बेवा नान्हू कुन्बी सा. कुम्हारिया	42/4/1	2.667	0.041
6	हीरू उर्फ हीराचंद पिता रामदास, रघुनाथ पिता रामदाससा. कुम्हारिया	13/2	0.202	0.040
	योग	6	5.360	2.425

1 - चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.—14—2024—एलए—12602—भू—अर्जन—प्र.क्र.—अ—82—23—24—नस्ती क्र. 14—2024—एलए खण्डवा, दिनांक 30 अगस्त 2024

:: उद्‌घोषणा ::

(उद्‌घोषणा अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 धारा– 19)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अकिार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं हे।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है:– भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला : खंडवा

(ख) तहसील : पुनासा

(ग) ग्राम : मोरटक्का

(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल : 6.580 हैक्टेयर

अ.कं.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा	अर्जित किया गया रकबा		सार्वजनिक प्रयोजन
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भूरीबाई बेवा हरिकरण एवं 4 अन्य	190/1	1.00	0.201	0.201	0	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु
2	प्रेमलाल पिता बाबूलाल	189/1	0.441	0.28	0.28	0	
3	देवराम पिता भाईराम	203	1.61	0.32	0.32	0	
4	आशाबाई पति सजनसिंह	204	0.77	0.30	0.30	0	
5	तोताराम पिता तुलसीराम	205/2	0.88	0.405	0.405	0	
6	यशवंत पिता नंदराम	208	0.86	0.351	0.351	0	
7	कड़वा पिता शोभाराम	117/1	2.26	0.27	0.27	0	
8	गोरधन पिता देवकरण एवं 3 अन्य	114	0.61	0.061	0.061	0	
9	राजेश पिता केशव एवं 3 अन्य	115	0.63	0.24	0.24	0	
10	जगदीश पिता भाईराम एवं 4 अन्य	538	1.79	0.18	0.18	0	
11	आनंदराम पिता चेतराम	537/2	0.85	0.04	0.04	0	
12	आनंदराम पिता चेतराम	537/3	0.3	0.055	0.055	0	
13	भरत पिता आत्माराम	539/2	0.44	0.39	0.39	0	

-2-

14	कालू पिता रामकिशन	805	0.71	0.458	0.458	0	
15	चेतराम पिता नाना	804	2.11	0.03	0.03	0	
16	हुकुमचंद पिता शोभाराम	806	0.69	0.04	0.04	0	
17	कड़वा पिता शोभाराम	801	0.42	0.057	0.057	0	
18	उमेदसिंह पिता रुखडू सिंह	792	3.06	0.151	0.151	0	
19	ओमप्रकाश पिता चेतराम	800	0.52	0.13	0.13	0	
20	चम्पालाल पिता देवराम	793	1.14	0.37	0.37	0	
21	चेतराम पिता नाना	797	0.86	0.04	0.04	0	
22	छितर पिता मांगीलाल	796/1	0.08	0.03	0.03	0	
23	नानुराम पिता धन्नालाल	796/2	0.27	0.261	0.261	0	
24	नत्थीबाई बेवा अमराजी	795/1	0.08	0.055	0.055	0	
25	नानुराम पिता धन्नालाल	795/2	0.27	0.13	0.13	0	
26	महेश पिता तोताराम	775	0.91	0.081	0.081	0	
27	सेवकराम पिता छोगालाल	776/1	0.34	0.22	0.22	0	
28	सेवकराम पिता छोगालाल	774/3	0.23	0.004	0.004	0	
29	रेवाशंकर पिता छोगालाल	776/2	0.33	0.213	0.213	0	
30	रामदेव पिता मायाचंद	778/3	0.18	0.011	0.011	0	
31	बलदेव पिता मायाचंद	778/1	0.11	0.01	0.01	0	
32	अनिल पिता मांगीलाल	778/2	0.36	0.017	0.017	0	
33	गुलाबचंद पिता भुवानिराम	777/1	0.35	0.218	0.218	0	
34	बलदेव पिता मायाचंद	777/2	0.07	0.028	0.028	0	
35	लक्ष्मीबाई बेवा शोभाराम	779	0.83	0.269	0.269	0	
36	ओमप्रकाश पिता सीताराम	764/1	4.34	0.664	0.664	0	
	कुल योग		30.70	6.58	6.58	0.00	

नोट :–1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू–अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.–14–2024–एलए–12605–भू–अर्जन–प्र.क्र.–अ–82–23–24–नस्ती क्र. 14–2024–एलए

(उद्घोषणा अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 धारा– 19)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आकिार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं हे।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित हैः– भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन –

(क) जिला : खंडवा
(ख) तहसील : पुनासा
(ग) ग्राम : कोठी
(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल : 0.105 हैक्टेयर

अ.क्रं.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा	अर्जित किया गया रकबा		सार्वजनिक प्रयोजन
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	0	0	0	0	8
1	सुधीर कुमार पिता रोहित कुमार	8/2/2	0.07	0.005	0.005	0	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु
2	सुरेश पिता चुन्नीलाल शर्मा	272	0.064	0.10	0.10	0	
	कुल योग –		0.134	0.105	0.105		

नोट :–1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है।
2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू–अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.—14—2024—एलए—12608—भू—अर्जन—प्र.क्र.—अ—82—23—24—नस्ती क्र. 14—2024—एलए

(उदघोषणा अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 धारा— 19)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अकिार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं हे।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित हैः— भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन —

(क) जिला : खंडवा

(ख) तहसील : पुनासा

(ग) ग्राम : मोरघडी ·

(घ) अर्जित रकबा/क्षेत्रफल : 0.941 हैक्टेयर

अ.क्रं.	कृषक /हितग्राही का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	प्रस्तावित अनुमानित रकबा	अर्जित किया गया रकबा		सार्वजनिक प्रयोजन
					सिंचित	असिंचित	
1	2	3	0	0	0	0	8
1	मणीबाई पति प्रेमनारायण	18	0.11	0.008	0.008	0	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु
2	मणीबाई पति प्रेमनारायण	19	0.16	0.100	0.100	0	
3	मणीबाई पति प्रेमनारायण	20	0.14	0.006	0.006	0	
4	मणीबाई पति प्रेमनारायण	23	0.38	0.28	0.28	0	
5	मणीबाई पति प्रेमनारायण	24	0.74	0.04	0.040	0	
6	मणीबाई पति प्रेमनारायण	25	0.22	0.087	0.087	0	
7	दूर्गेश पिता दिनेश कुमार	12/2	5.02	0.05	0.050	0	
8	दिलीप कुमार पिता प्रेमनारायण	29/1	1.16	0.25	0.250	0	
9	विनोद पिता केशरीमल	31	2.02	0.12	0.12	0	
	कुल योग —		**9.95**	**0.941**	**0.941**	0	

नोट :—1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू—अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 सितम्बर 2024

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ 82/24–25 पत्र क्र0.1939/भू–अर्जन/2024 दि0 02/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	मुगहर	0.3340 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0–07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रहिकवारा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2024

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ 82/24–25 पत्र क्र0 1940/भू–अर्जन/2024 दि0 03/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	राधेपुर	25.100 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र0–07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत राजापुर माइनर नं0 1 व राजापुर माइनर नं0 2 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ 82/24–25 पत्र क्र0..1970./भू–अर्जन/2024 दि0 04/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	उमरी	3.471 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0–07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरी माइनर व उमरी सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि क़ा अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ 82/24–25 पत्र क्र0..1971/भू–अर्जन/2024 दि0 04/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	चुनहा	2.003 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0–07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू–अर्जन प्र0क्र0 अ 82/24–25 पत्र क्र0.1972./भू–अर्जन/2024 दि0 04/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग		
1	2	3	4	5	6
सतना	नागौद	पथरौंधा	36.110 हे.	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0–07 जिला सतना (म0प्र0)	बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत मौहारी वितरिका एवं उमरहाट वितरिका नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1941–भू–अर्जन–2024 सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –सतना

(ख) तहसील– नागौद

(ग) नगर /ग्राम – रेरूआ खुर्द

(घ) क्षेत्रफल– 2.7210हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हें. में.)
1	540	0.0250
2	541	0.0190
3	461	0.0190
4	460	0.0040
5	481	0.0100
6	462	0.0050
7	480	0.0280
8	465	0.0010

9	479	0.0280
10	478	0.0140
11	484	0.0080
12	485	0.0300
13	477	0.0100
14	486	0.0060
15	476	0.0020
16	501	0.0400
17	502	0.0200
18	500	0.0150
19	503	0.0010
20	504	0.0200
21	505	0.0130
22	508	0.0040
23	506	0.0100
24	507	0.0010
25	509	0.0090
26	520	0.0330
27	519	0.0050
28	518	0.0130
29	513	0.0340
30	515	0.0330
31	514	0.0210
32	415	0.0520
33	414	0.0020
34	411	0.0260
35	416	0.0010
36	410	0.0450
37	408	0.0010
38	409	0.0270
39	191	0.0240
40	190	0.0320
41	150	0.0180
42	189	0.0070
43	188	0.0450
44	151	0.0010

45	178	0.0360
46	177	0.0300
47	179	0.0050
48	176	0.0150
49	175	0.0290
50	170	0.2430
51	168	0.0130
52	161	0.3170
53	156	0.0120
54	160	0.0150
55	54/1/1	0.0070
56	54/2/2	0.0870
57	53/2/2	0.0730
58	163	0.0110
59	165	0.0060
60	30/1	0.0770
61	29/1	0.0330
62	28/1	0.0370
63	32	0.1400
64	33	0.0070
65	35/1	0.1040
66	35/2	0.0900
67	41/1	0.0400
68	41/2	0.2900
69	42/2	0.0140
70	14/2	0.1480
71	10	0.0610
72	13/2	0.0100
73	13/3/1	0.0050
74	12/3/1	0.0040
कुल योग–		**2.7210**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–7 जिला–सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रेरूआ खुर्द सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1942—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —**सतना**

(ख) तहसील— **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम — **अकौना खुर्द**

(घ) क्षेत्रफल— **2.3720**हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हें. में.)
1	16	0.2190
2	14	0.0190
3	15	0.0130
4	21	0.1660
5	77/1/1	0.1090
6	77/1/2	0.1090
7	77/1/3	0.0350
8	77/1/4	0.0350
9	77/1/5	0.0350
10	77/2/1	0.0030
11	77/2/2	0.0060
12	77/2/3	0.0300
13	77/2/4	0.0250
14	76/2	0.0090
15	64	0.1900
16	71/1/1/1	0.1130
17	71/1/1/2	0.0310
18	70	0.1680
19	81/3	0.1660
20	86	0.1450
21	87	0.0190
22	228/1	0.1040

23	88/1	0.0020
24	224	0.0890
25	227	0.0340
26	226	0.0240
27	387	0.0080
28	225/1	0.1000
29	225/2	0.1060
30	221/2	0.0070
31	219	0.0330
32	218	0.0350
33	217	0.0490
34	216	0.0270
35	215	0.0160
36	396	0.0930
कुल योग–		**2.3720**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–7 जिला–सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका अकौना खुर्द माइनर–1 नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1943–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

<u>अनुसूची</u>

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम – **रेरूआ खुर्द**

(घ) क्षेत्रफल– **1.4510**हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हे.में.)
1	632/3	0.0480
2	633	0.1290

3	635	0.0990
4	631	0.0580
5	636	0.1010
6	552	0.0970
7	637/1/1	0.0850
8	637/1/2	0.0260
9	551/1/1	0.2590
10	551/1/2	
11	551/2	
12	548/1	0.0130
13	548/2	
14	537/1	0.0360
15	537/2	0.1620
16	543/1	0.0140
17	540	0.0750
18	541	0.0150
19	542	0.0300
20	460	0.0250
21	459	0.0370
22	456	0.0290
23	457	0.0450
24	454	0.0220
25	439	0.0360
26	438	0.0100
कुल योग–		**1.4510**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–7 जिला–सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रेरूआ कला माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1944–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –**सतना**

(ख) तहसील– **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम – **घदेह खुर्द**

(घ) क्षेत्रफल– **2.4080हे0**

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हें.में)
1	544	0.0190
2	421	0.1100
3	420/1	0.0020
4	420/2	
5	422	0.0140
6	417	0.0290
7	419	0.3000
8	427	0.0080
9	426	0.0020
10	428	0.2020
11	435	0.0600
12	436	0.0220
13	433	0.0130
14	434	0.0320
15	403	0.0480
16	402/1	0.0150
17	402/2	0.0170
18	349	0.0310
19	348	0.0010
20	350	0.0100
21	351	0.0810
22	352	0.0140
23	372	0.0360
24	371	0.0640

25	370	0.0380
26	376	0.0380
27	373	0.0010
28	368	0.0010
29	377	0.0370
30	378	0.0240
31	379	0.0020
32	365	0.0180
33	366	0.0190
34	364	0.0370
35	363	0.0100
36	429/1	0.0030
37	397	0.0270
38	394	0.0040
39	231	0.0880
40	232	0.0330
41	233	0.0290
42	234	0.0040
43	235	0.0110
44	222	0.0100
45	134	0.0160
46	138	0.0770
47	140	0.0150
48	141	0.0030
49	137/1/1	0.0120
50	137/1/2	0.0730
51	55	0.0160
52	146/1	0.0260
53	47	0.0210
54	155	0.0020
55	43	0.0240
56	42	0.0350
57	41	0.0010
58	40	0.0540

59	39	0.0080
60	38	0.0460
61	37	0.0120
62	31	0.0240
63	29	0.0210
64	28	0.0290
65	27	0.0010
66	23/2	0.0140
67	6/1	0.1480
68	6/2	0.0060
69	6/3/2	0.1100
70	46	0.0480
71	45	0.0020
कुल		**2.4080**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–7 जिला–सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रहिकवारा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1945–भू–अर्जन–2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू–अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.–एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:–

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः– (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला –सतना

(ख) तहसील– नागौद

(ग) नगर /ग्राम – रेरूआ कला

(घ) क्षेत्रफल– 2.5680हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हें.में.)
1	425	0.0360
2	424	0.0200
3	442	0.0250
4	443	0.0090
5	441	0.0080
6	444	0.0270
7	445	0.0060
8	446	0.0450
9	447	0.0180
10	448/1	0.0180
11	450	0.0040
12	449/1	0.0380
13	449/2	0.0380
14	466	0.0140
15	390/1	0.0080
16	390/2	0.2250
17	389/2	0.0140
18	213	0.0090
19	212/1	0.0450
20	212/2	0.0540
21	211/1/2	0.1070
22	209/2	0.1430
23	200/1	0.1070
24	200/2	0.0200

25	201/1	0.0100
26	201/2	0.0070
27	191/1	0.2260
28	191/2	0.1880
29	190/1	0.0180
30	189/1	0.0190
31	179/1/1/1/1/2/1	0.1800
32	179/2/2	0.0100
33	180/1	0.0140
34	182/1	0.3610
35	182/2	0.0550
36	181/1	0.0220
37	158/1/1	0.1360
38	158/1/2	0.0430
39	158/2	0.1880
40	157/2	0.0130
41	156	0.0120
42	228	0.0280
कुल योग—		**2.5680**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के रेरूआ कला माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1946—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —**सतना**

(ख) तहसील— **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम — **रेरूआ कला**

(घ) क्षेत्रफल— **0.3290**हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हें. में.)
1	636/2	0.1510
2	640/1	0.0200
3	640/2	0.0320
4	639	0.1260
योग		**0.3290**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका अकौना माइनर—1 नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1947—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —**सतना**

(ख) तहसील— **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम — **सलईया कोठार**

(घ) क्षेत्रफल— **1.2110**हे0

क्र.	खसरा नं.	अर्जित रकवा (हें. में.)
1	518/2/1/1	0.0050
2	518/2/1/2	0.0550
3	518/2/2	0.1010
4	517/1	0.0050
5	516/2	0.1400
6	516/4	0.0240
7	485/1	0.0900
8	485/2	0.0300
9	485/3	0.0480
10	485/4	0.0400
11	485/5	0.1450
12	491/1	0.0250
13	491/2/1	0.0050
14	491/2/2	0.1510
15	491/3/1	0.0200
16	491/3/2	0.1200
17	490	0.2020
18	498/2/3	0.0050
कुल योग—		**1.2110**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत टिकुरी माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1948—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —**सतना**

(ख) तहसील— **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम — **रेरूआ कला**

(घ) क्षेत्रफल— **0.5410**हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हे.मे.)
1	357/1/1	0.018
2	357/1/2	0.190
3	357/2	0.007
4	358/1	0.007
5	363/2	0.073
6	362	0.231
7	361/2	0.015
कुल		**0.541**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के मढ़ीखुर्द माइनर—1 नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1973—भू—अर्जन—2024 सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

<u>अनुसूची</u>

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —**सतना**

(ख) तहसील— **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम — **उरदान**

(घ) क्षेत्रफल— **0.5970**हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हे.में.)
1	909	0.0080
2	910	0.0240
3	596	0.0400
4	595	0.0080
5	518	0.0370
6	519/3/1	0.0020
7	512	0.0060
8	511	0.0410
9	510	0.0380
10	509	0.0210
11	499/1/1	0.0040
12	499/2	0.2380
13	499/3/1	0.0150
14	499/3/2	0.1030
15	500	0.0120
कुल योग—		**0.5970**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया सब माइनर—2 नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1974—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —**सतना**

(ख) तहसील— **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम — **लालपुर**

(घ) क्षेत्रफल— **5.1120**हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हें. में.)
1	580	0.0300
2	582	0.1010
3	583	0.0150
4	584	0.0520
5	577	0.0020
6	585	0.0370
7	576	0.0120
8	575	0.0460
9	567	0.0430
10	574	0.0020
11	568	0.0340
12	569	0.0100
13	566	0.0350
14	565	0.0510
15	564	0.0100
16	562	0.0950
17	563/2	0.0120
18	362/1	0.0820
19	361/1	0.0640
20	361/2	0.0630
21	360	0.2840
22	342	0.0150
23	341	0.0530
24	338	0.0720

25	337	0.0140
26	335/1	0.0040
27	335/2	0.1240
28	333	0.0140
29	334/2	0.0130
30	313/1	0.0110
31	208	0.0430
32	207	0.0010
33	209	0.0210
34	205	0.0610
35	210	0.0130
36	198	0.0080
37	198/950	0.0100
38	199	0.0730
39	200	0.0280
40	196	0.0200
41	195	0.0330
42	193	0.0160
43	192	0.0020
44	194/1	0.0300
45	194/2	0.0120
46	186	0.0040
47	185/1	0.0130
48	185/2	0.0080
49	108	0.0010
50	109	0.0020
51	184	0.0140
52	183/1	0.0080
53	183/2	0.0100
54	182/2	0.0040
55	181	0.0520
56	177/3	0.0070
57	180/1	0.0070
58	180/2	0.0350
59	179	0.0750
60	113	0.0080

61	114/3	0.0030
62	117/1	0.0310
63	117/2	0.0090
64	116/1	0.0040
65	115/1	0.1110
66	115/2	0.0150
67	115/3	0.0700
68	89/2	0.0120
69	129	0.1580
70	132/949	0.0100
71	56	0.0610
72	58/1	0.0150
73	58/2	0.0040
74	79/5	0.0170
75	59/1	0.0200
76	59/2	0.0040
77	62/1	0.0410
78	62/2	0.0080
79	64/1	0.0670
80	61	0.0010
81	65/1	0.0050
82	65/2	0.1250
83	46/2	0.0140
84	53/2	0.0100
85	52/2	0.0040
86	47/1	0.1100
87	47/2	0.0890
88	47/3	0.1240
89	47/4	0.0850
90	30/1/32	0.0120
91	30/2/18	0.0030
92	30/2/23/3	0.0310
93	31/1	0.1370
94	13/1	0.0410
95	14/1/1	0.0890
96	14/1/2	0.1330

97	14/2/1	0.1230
98	12/1/1	0.1870
99	12/1/2	0.0510
100	12/2	0.0440
101	12/3	0.0420
102	12/4	0.0560
103	12/5	0.0630
104	11/1	0.0060
105	11/3	0.0050
106	9/1	0.0710
107	9/2	0.1940
108	8/1	0.0100
109	16/1/23/1	0.0100
110	16/2/23	0.0500
111	17/2/23	0.0560
112	17/1/10	0.0950
113	17/2/32	0.0870
114	17/2/10/2	0.1330
115	17/1/23/2/2	0.0670
116	17/1/23/1	0.0700
कुल योग–		**5.1120**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक–7 जिला–सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत बमुरहिया माइनर व बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू–अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. 1975—भू—अर्जन—2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू—अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.—एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः— (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला —**सतना**

(ख) तहसील— **नागौद**

(ग) नगर /ग्राम — **कोलाड**

(घ) क्षेत्रफल— **3.4250**हे0

क्र.	खसरा नं0	अर्जित रकवा (हें. में.)
1	78/1/1	0.3900
2	78/2	0.0030
3	77	0.2230
4	76	0.0430
5	75/1	0.2600
6	75/3	0.0080
7	74/3	0.0090
8	84/2	0.1460
9	84/4	0.1460
10	98/2	0.0380
11	97/2	0.0170
12	87/1	0.1170
13	87/2	0.0880
14	87/3	0.0450
15	344/1/1	0.0950
16	344/1/2/1	
17	344/1/2/2	
18	344/1/3	
19	344/2/3	
20	345	0.2200
21	336	0.1980
22	335	0.0160
23	279/1/1	0.3250
24	279/1/2	

25	279/2	
26	278/1/1	0.0240
27	278/1/2	
28	278/2	
29	280/1/10	0.1630
30	280/1/23	0.2200
31	281/1/23	0.0230
32	298	0.1450
33	300	0.0140
34	457	0.0570
35	458	0.0190
36	456/2	0.0600
37	455/1	0.0120
38	453	0.0350
39	454	0.1000
40	452/1	0.0180
41	452/2	
42	451/1	0.0200
43	451/2	
44	450	0.0610
45	461/1/2	0.0180
46	427/1/2	0.0490
47	427/1/3	
कुल योग—		**3.4250**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक—7 जिला—सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका मढ़ी खुर्द माइनर नं0 2 नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू—अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 14th August, 2024

CORRIGENDUM

No: 101-Comp.-2024-CJ-II-1872.–In partial modification of this Registry Order Endorsement No. 78-CJ-II-1872, dated 8th April 2024, it is hereby directed that entry at S.No. 05 in 7th line with regard to Shri Kapil Dev Kachhi, the then I Civil Judge, Junior Division, Narsinghgarh, District Rajgarh, (presently under suspensino with Headquarters at Sidhi) after the word 'furnished' Shall be read as "so as to enable office of Principal District & Sessions Judge, Sidhi " instead of "so as so enable this Registry ", to pass orders regarding fixation of his subsistence allowance."

No:103-Comp.-2024-CJ-II-1894.–WHEREAS, an enquary has been ordered to be initiated against Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, Junior Division, Lavkushnagar, Distict Chhatarpur for showing act of grave misconduct and misuse of powers.

AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya pradesh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, Junior Division, Lavkushnagar, Distict Chhatarpur, under suspension with immediate effect with the headquarters at **Alirajpur** during the period of suspension.

He is further directed to report to the Principal District & Sessions Judge, **Alirajpur** in compliance of the order.

By order of the High Court,
ASHUTOSH AGRAWAL, Registrar (Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2024

क्र.–ए–6485–तीन–10–42–75–(जबलपुर–बरगी).– मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी–2441, दिनांक 19 जुलाई 2021, जो कि व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड की श्रृंखला न्यायालय बरगी (जिला जबलपुर) के संचालन से संबंधित है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

No. A- 6485-III-10-42-75-(Jabalpur-Bargi).– High Court of Madhya pradesh Notification No. D-2441, dated 19th July 2021, relating to holding of Link Court of Civil Judge Junior Division ab Bargi (District Jabalpur), is hereby stands cancelled.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार
(डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिसमेंट).

जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2024

क्र.–B–3831–दो–2–61–2021.–श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–3833–दो–2–57–2020.–श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 8से 10 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.–B–3835–दो–2–64–2014.– श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 10 से 14 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–3838–दो–2–101–2017.– श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 25 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 से 7 अगस्त 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–B–3840–दो–2–4–2016.– श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 6 से 7 अगस्त 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश के स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.–C–6087–दो–2–16–2010.– श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते

क्र.–C–6089–दो–2–16–2010.– श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते

क्र.–C–6096–दो–2–20–2021.– श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 20 से 22 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2024

क्र.–B–3883–दो–2–10–2018.–सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 16 अगस्त 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी, डी. आर–कम–पी. पी. एस.